कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

राजगढ़, दिनांक 05/05/2021

क्र./5774 /एस.डब्ल्यू./2021

—आदेश—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4733/एस.डब्ल्यू./2021 राजगढ दिनांक 29/04/2021 के अनुसार जिले में कोरोना कर्फ्यू दिनांक 07.05.2021 को रात्रि 10:00 बजे तक लगाया गया था, उक्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :—

1. कोरोना कर्फ्यू दिनांक 16.05.2021 को रात्रि 10:00 बजे तक बढ़ाया जाता है।
2. जिले में कोविड—19 संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण जिले में शादी समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

उक्त बिन्दुओं को छोड़कर शेष आदेश पूर्वानुसार यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 05/05/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.
राजगढ़, दिनांक 05/05/2021

पृ.क्र./ 5775 /एस.डब्ल्यू./2021

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला राजगढ की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। संबधित थाना प्रभारियों को आपके स्तर से भी कडाई से पालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजगढ़ की ओर सूचनार्थ।
7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त .... जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी समस्त .... जिला राजगढ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग राजगढ़ की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

Scanned by CamScanner